

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्र.क.: 989 / 2014

संस्थित दि: 29 / 10 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

यशवंत पिता सेवकराम राहंगडाले, उम्र 39 साल, जाति पवार,

निवासी ग्राम कातलबोड़ी थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.).....आरोपी

— :: **निर्णय** :: —

(आज दिनांक 29 / 10 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181, 146 / 196 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी दिनांक 12.09.2014 को दिन के 03:00 बजे स्थान कुरेण्डा पटेलटोला थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50 / एम.एफ.9740 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं दुरपसिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाते हुये पाया गया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी दुरपसिंह ने दिनांक 12.09.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 12.09.2014 को दिन के 03:00 बजे सायकिल से अपने घर से कुरेण्डा जा रहा था कि कुरेण्डा पटेलटोला के पास पहुंचा कि पीछे से मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50 / एम.एफ.99740 के चालक ने मोटरसाइकिल को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसकी सायकिल को टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया और उसे चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 133 / 14 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर आरोपी से वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50 / एम.एफ.

9740 जप्त कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी ने दिनांक 12.09.2014 को दिन के 03:00 बजे स्थान कुरेण्डा पटेलटोला थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम. पी.50/एम.एफ.9740 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीखे से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

(2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.एफ.9740 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीखे से चलाकर दुरपसिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.एफ.9740 को बिना लायसेंस के चलाते हुये पाये गये ?

(4) क्या आरोपी ने इसी दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.एफ.9740 को बिना बीमा के चलाते हुये पाये गये ?

—:: सकारण — निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 :-

(05) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की

साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(06) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(07) आरोपी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(08) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(09) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप के अन्तर्गत 1000/— (एक हजार) रुपये, 337 के आरोप के अन्तर्गत 500/— (पांच सौ) रुपये तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोप के अन्तर्गत 500/— (पांच सौ) रुपये 146/196 के आरोप के अन्तर्गत 1000/— (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर आरोपी को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.एफ.9740 सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला, बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)